शोध मंथन Vol. XV No.II Apr.-June 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.8777 (SJIF)

महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा एवं दुर्व्यवहारः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्राप्तिः 12.06.2024
स्वीकृतः 26.06.2024

डॉ० ऋतु रानी
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
तारा चांद वैदिक पुत्री डिग्री कालेज, मुजफ्फरनगर
ईमेलः *rituranimzn89@gmail.com*

38

सारांश

भारतीय समाज में नारी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा उसे प्रकृति की सृजनशीलता तथा संरचनात्मक शक्ति का प्रतीक माना गया है। समाज के सृजन का श्रेय नारी को ही दिया गया है, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महिलायें समय–समय पर अपना योगदान दे रही है। फिर भी कोई समाज नारी उत्पीडन से अछूता नही रहा है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा के अनेक रूप है जिसमें से एक है घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा से तात्पर्य उस हिंसा से है जिसमें किसी महिला एवं बच्चें 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो, जिससे किसी महिला को दुःख एवं अपमान सहन करना पडें, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। वर्तमान समय में भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप देखने को मिलते है।

मुख्य बिन्दू

सृजनशीलता, संरचनात्मक शक्ति, क्षति, दायरा, हिंसावृत्ति, परिप्रेक्ष्य निवृत्त, दुर्व्यवहार, पारिश्रमिक, द्विपक्षीय, प्रताडना, नीरस, अमार्यदित, विसंगतिपूर्ण, कालांकन, कुसामांजस्य विवाहेत्तर, वात्सल्य।

प्रस्तावना

महिला उत्पीडन को आज के युग की घटना मानना अतिशियोक्ति होगी, क्योकि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक महिला उसी त्रासदि से गुजर रही है, प्राचीन समय में महिला उत्पीडन के अनेक उदाहरण मिलते है जैसे रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था, युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी को जुए में दांव पर लगा दिया था तथा दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीरहरण कर अपमानित किया इत्यादि। स्त्रियों के संदर्भ में भारतीय समाज में दो प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते है एक दृष्टिकोण समाज में स्त्री को पुरूषो के समकक्ष सम्मान एवं प्रस्थिति दिलाने के पक्ष में है तो दूसरा दृष्टिकोण उन्हे पुरूषो से भिन्न दर्जे का मानता है। नारी का यही दूसरा दृष्टिकोण प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक विद्यमान है। वर्तमान काल में भी महिला उत्पीडन अपनी चरम सीमा पर चल रहा है, आये दिन समाचार पत्र–पत्रिकाओं में महिला उत्पीड़न की घटनायें सुर्खियों में रहती है।

वास्तव में घरेलू हिंसा का तात्पर्य परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार है जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है तथा जिसे व्यवहार के निर्धारित मापदण्डो से विचलन के रूप में देखा जाता हो। परिवार के भीतर होने वाली हिंसा को हम घरेलू हिंसा कहते है और ऐसी हिंसाए अक्सर महिलाओं के विरूद्ध की जाती है। पारिवारिक हिंसा का सम्बन्ध स्त्रियों के उसी उत्पीड़न से है जो किसी महिला के निकट सम्बन्धियों जैसे माता–पिता, सास–ससुर, देवर–ननद, जेठ–जेठानी के द्वारा किया जाता है। यदि पीडित महिला के द्वारा घरेलू हिंसा के बारे में कोई शिकायत की जाती है तो साधारणत्या उसे अपने भाग्य के सहारे चुपचाप रहने की सलाह दी जाती है। पडोसी तथा नातेदार भी उसमें हस्तक्षेप नही करते है क्योकि इसमें पति–पत्नी या परिवार का निजी मामला समझकर आस–पास के लोग भी इसके खिलाफ आवाज नही उठा पाते। पुलिस प्रशासन भी इस प्रकार की हिंसा पर कोई विशेष ध्यान नही देता है और कई बार तो पीडित महिला स्वयं भी लज्जा या डर से घरेलू हिंसा के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराने से डरती है।

घरेलू हिंसा

हिंसा तो हिंसा है चाहे वह घरेलू हो या अन्य किसी प्रकार की। महात्मा गांधी का मानना था कि हिंसा ही सामाजिक अन्याय का मूल कारण है। अतः अन्याय को सहन करने वाला भी उतना ही दोषी है जितना की अन्यायी।

शाब्दिक अर्थ के अनुसार घरेलू हिंसा से आश्य परिवार में होने वाली हिंसा से है। यह हिंसा परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा की जा सकती है। भारतीय समाज में पारिवारिक हिंसा का प्रचलन बहुत अधिक रहा है। घरेलू हिंसा का वास्तविक स्वरूप और अर्थ महिलाओं से सम्बन्धित घरेलू हिंसा से ही है। एक आदर्श तो ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता'' का है दूसरी ओर ''ढोल गंवार शूद्र पशु सकल ताड़ना के अधिकारी'' ने तुलसीदास जी का अर्थ किसी भी प्रकार की सामाजिक वर्जनाओं से सम्बन्धित रहा हो लेकिन इसका दुरूपयोग घरेलू हिंसा के रूप में खूब हुआ है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि :–

- घरेलू हिंसा से तात्पर्य परिवार में हिंसा से है।
- परिवार के किसी सदस्य द्वारा मन–वाणी, कर्म से किसी दूसरे सदस्य पर किया गया हिंसक व्यवहार भी घरेलू हिंसा ही है।
- घरेलू हिंसा का घषणित स्वरूप बालिका शिशु वध रहा है, वर्तमान में जन्म लेने से पूर्व ही लिंग परीक्षण के द्वारा भ्रूण हत्या के रूप में इसका प्रचलन बढा है।
- वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार, यातनायें घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आते है।
- ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा का प्रचलन स्त्रियों के प्रति अन्याय, अत्याचार, शोषण, मारपीट के पर्यायवाची के रूप में रहा है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा देने के उद्देश्य से 'घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005' महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मका, लैगिंक एवं आर्थिक हिंसा के विरूद्ध संरक्षण प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से पीडित महिला अधिनियम के धारा 12 के अन्तर्गत संरक्षण एवं उपचार

हेतु मजिस्ट्रेट से आवेदन कर सकती है। धारा 18 से 22 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा से पीडित नारी के संरक्षण, निवास, आर्थिक सहायता, अभिरक्षा, प्रतिकार आदि के बारे में आदेश दे सकेगा। ऐसे आदेश का पालन नही करने वाले को धारा 31 के अन्तर्गत एक वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा 20,000/– रूपये के जुर्माने का प्रावधान है।

घरेलू हिंसा के विभिन्न स्वरूप

1. **मौखिक और भावनात्मक हिंसा** :– अपमान करना, गालिया देना, चरित्र और आचरण इत्यादित का दोषारोपण, दहेज इत्यादि ना लाने पर अपमान करना, नौकरी छोडने के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना या अन्य मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार।
2. **आर्थिक हिंसा** :– बच्चों के अनुरक्षण के लिए धन उपलब्ध न कराना, खाना–कपडे, दवाईया इत्यादि उपलब्ध न कराना, रोजगार चलाने से रोकना, वेतन पारिश्रमिक इत्यादि से आई हुई आय को ले लेना।
3. **दुर्व्यवहार** :– यह भी एक प्रकार की हिंसा है दुर्व्यवहार किसी भी सदस्य के साथ हो सकता है। जैसे पिता–पुत्र के रूप में, सास–देवरानी, जेठानी के रूप में आदि।

महिलाओं के साथ क्रूरतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार आज एक सामान्य बात हो गयी है, उसे शारीरिक एवं मानसिक यातनायें देने की घटनायें प्रतिदिन कारित हो रही है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीयद दण्ड संहिता 1860 की धारा 498(क) को जोडकर इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है।

4. **विधवाओं के प्रति हिंसा** :– विधवाओं के प्रति हिंसा एक अमानवीय कृत्य है। किसी स्त्री के पति की मृत्यु के पश्चात उसे आजीवन वैध्वय रूप में जीवन जीने के लिए बाध्य करना, उसे शारीरिक–मानसिक यातनायें देना, सादा एवं नीरस जीवन जीने के लिए मजबूर करना। ये सब विधवाओं के प्रति की जानी वाली हिंसा है।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के कारण

1. **पारिवारिक कुसमायोजन** :– भौतिक वाद के साथ बढे हुए उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद ने पारिवारिक कुसामाजस्य की स्थिति ला दी है। इसी कारण परिवार में आये दिन कलह देखने को मिलती है। महिलाओं की स्थिति परिवार में अच्छी नही है उनके प्रति मान सम्मान में कमी आई है। पुत्र एवं पुत्री की तुलना में पुत्री की अधिक उपेक्षा की जाती है।
2. **सामाजिक कुप्रथाऐं** :– घरेलू हिंसा के लिए सामाजिक कुप्रथाओं का विशेष योगदान रहा है। जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि।
3. **आधुनिकता की प्रवषत्ति** :– आधुनिकता ने सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को त्यागकर अधिकाधिक सुख–सुविधा को आधार बनाया है। जिससे परिवार में आये दिन इन चीजो को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी रहती है।
4. **पुरूष प्रधान मानसिकता** :– यह घरेलू हिंसा का सबसे बडा कारण है, क्योकि इसमें एक पुरूष स्त्री पर अत्याचार करना, गाली–गलौच करना अपना धर्म समझता है जिसके कारण ऐसी हिंसा को बढावा मिलता है।

5. **महिला अशिक्षा** :– अधिकांश महिलायें अशिक्षा और अज्ञानता के कारण घरेलू हिंसा और उत्पीड़न को सहजता से स्वीकार कर लेती है। उन्हें कानून की जानकारी नही है इस कारण से वह इस प्रकार की हिंसा को झेलती रहती है और उसकी शिकायत दर्ज नही करती है।

निष्कर्ष

- आज महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कानून बन गये है और फिर भी महिलायें सुरक्षित नही है।
- वर्तमान समय में महिला सुरक्षा से सम्बन्धित कानून बनने से महिलाओं की परम्परागत स्थिति में सुधार हुआ है।
- घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बनने से अधिकांश महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई है।
- पुरूषों की मूखर्तापूर्ण मानसिकता एवं पितृसत्तामक सोच घरेलू हिंसा को बढावा दे रही है।
- जो महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नही है वे महिलायें घरेलूं हिंसा को चुपचाप सहती रहती है।
- सामाजिक कुप्रभायें काफी हद तक घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है।
- शिक्षित महिलायें भी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है।

संदर्भ

1. भाटी, कान्ता. महिला उत्पीड़न, दहेज प्रताडना तथा दहेज हत्या. पृष्ठ **14–15.**
2. भदौरिया, एस०एस०. (1995). 21वी सदी में सामाजिक अन्याय की समस्या का गांधीवादी समाधान. गांधी ज्योति पत्रिका. अंक 2. पृष्ठ **51.**
3. शर्मा, पूजा. (2012). महिलायें एवं मानवाधिकार. सागर पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्सः जयपुर. पृष्ठ **96–97.**
4. त्रिपाठी, राजेश. (2014). घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली 2006. सागर लॉ हाऊसः इलाहाबाद. पृष्ठ **25, 26, 27.**
5. गम्भीर, विजय. (2000). महिलाओं के विरूद्ध अपराध. अप्रकाशिक शोध प्रबन्ध. जीवनी विश्वविद्यालय ग्वालियर. पृष्ठ **195.**
6. राय, सुमन. (2015). घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण नियम 2006. ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनीः नई दिल्ली, इलाहाबाद. पृष्ठ **60, 61.**